

कार्यालय:-मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

आदेश संख्या/सेवा.अराज./

196

/3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक 25/06/19

स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16(1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक/118/XXX(2)/2019-30(13)/2017 दिनांक 23.04.2019 तथा पत्रांक/152/XXX(2)/19/30(13)/2017/ दिनांक 07.06.2019 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित शिक्षिकाओं को जनहित में धारा 17(1)(ग) (दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण) के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ संख्या-07 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।


शाखा-महिला

क्र.सं.	अध्यापिका का नाम	विषय	कार्यरत विद्यालय	विकासखण्ड	जनपद	स्थानान्तरित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्रीमती बबली लिंगवाल	सा.वि.	रा.बा.इ.का. गोपेश्वर	दशोली	चमोली	रा.बा.इ.का. लक्ष्मीबाग (रायपुर) देहरादून	रिक्त पद के प्रति
2	श्रीमती चन्द्रकला धस्माना	हिन्दी	रा.बा.इ.का. पैडुल	पौड़ी	पौड़ी	रा.बा.इ.का. ज्वालापुर (बहादुराबाद) हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
3	श्रीमती रमेशी कुकरेती	हिन्दी	रा.क.उ.मा.वि. दिखोली	डुण्डा	उत्तरकाशी	रा.बा.इ.का. मलेथा (कीर्तिनगर) टिहरी	रिक्त पद के प्रति
4	श्रीमती जयन्ती सुन्दरियाल	गृ.वि.	रा.क.उ.मा.वि. कोटड़ीसैण	रिखणीखाल	पौड़ी	रा.बा.इ.का. डुण्डा (डुण्डा) उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
5	श्रीमती शोभा उनियाल	सा.वि.	रा.क.उ.मा.वि. बडेथी चुंगी	डुण्डा	उत्तरकाशी	रा.क.उ.मा.वि. लण्डौरा (नारसन) हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
6	श्रीमती पुष्पा रावत	अंग्रेजी	रा.बा.इ.का. गोपेश्वर	दशोली	चमोली	रा.बा.इ.का. श्रीनगर (खिसी) पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
7	श्रीमती रेखा निगम	सा.वि.	रा.बा.इ.का. लैन्सडान	जयहरीखाल	पौड़ी	रा.बा.इ.का. बहमपुरी (रायपुर) देहरादून	रिक्त पद के प्रति
8	श्रीमती बीनू नौटियाल	हिन्दी	रा.बा.इ.का. घनसाली	भिलंगना	टिहरी	रा.बा.इ.का. अजबपुरकलां (रायपुर) देहरादून	रिक्त पद के प्रति
9	कृ. अतिया	सा.वि.	रा.बा.इ.का. सहिया	कालसी	देहरादून	रा.बा.इ.का. भौरी (रूड़की) हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति
10	श्रीमती ललिता डंयूडी	सा.वि.	रा.बा.इ.का. लैन्सडान	जयहरीखाल	पौड़ी	रा.क.उ.मा.वि. शिवराजपुर (दुगडडा) पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
11	श्रीमती सुनीति मंगगाई	सा.वि.	रा.बा.इ.का. पैडुल	पौड़ी	पौड़ी	रा.बा.इ.का. देवप्रयाग (देवप्रयाग) टिहरी	रिक्त पद के प्रति
12	श्रीमती राजलक्ष्मी रतूडी	विज्ञान	रा.क.उ.मा.वि. छाम	थौलधार	टिहरी	रा.बा.इ.का. उत्तरकाशी (भटवाडी) उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति

13	श्रीमती सुनीता गुसाईं	गृ.वि.	रा.क.उ.मा.वि. घण्डियाल	कल्जीखाल	पौड़ी	रा.बा.इ.का. रायपुर (रायपुर) देहरादून	रिक्त पद के प्रति
14	श्रीमती कौशल्या रावत	सा.वि.	रा.बा.इ.का. पैडुल	पौड़ी	पौड़ी	रा.बा.इ.का. किलकिलेश्वर (कीर्तिनगर) टिहरी	रिक्त पद के प्रति
15	श्रीमती उषा चौरसिया	हिन्दी	रा.क.उ.मा.वि. मुण्डाखेड़ा कलां	लक्सर	हरिद्वार	रा.क.उ.मा.वि. सुनारगांव (डोईवाला) देहरादून	रिक्त पद के प्रति
16	श्रीमती सीमा थपलियाल	गणित	रा.बा.इ.का. गोपेश्वर	दशोली	चमोली	रा.बा.इ.का. उत्तरकाशी (भटवाडी) उत्तरकाशी	रिक्त पद के प्रति
17	श्रीमती संतोष बिष्ट	विज्ञान	रा.क.उ.मा.वि. ऊखीमठ	ऊखीमठ	रूद्रप्रयाग	रा.बा.इ.का. पौड़ी (पौड़ी) पौड़ी	रिक्त पद के प्रति
18	श्रीमती अनिता कुडियाल	विज्ञान	रा.क.उ.मा.वि. बमणगांव	नरेन्द्रनगर	टिहरी	रा.बा.इ.का. चन्द्रपुरी (रूड़की) हरिद्वार	रिक्त पद के प्रति

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

- (1) स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित विद्यालय हेतु अवमुक्त करेंगे।
- (2) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (3) स्थानान्तरित किये गये शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- (4) अवमुक्त होने वाले शिक्षक/शिक्षिकार्यें नियमानुसार अनुमन्य ' कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining Time) ' का उपभोग नव तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य ' यात्रा अवधि (Journey Time) ' का ही उपभोग कर सकेंगे।
- (5) स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
- (6) स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाओं को नियमानुसार स्थानान्तरण यात्रा भत्ता देय होगा।
- (7) मा. उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-164/2013 दौलत राम सेमवाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में मा. न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2018 के अनुपालन में जनपद-हरिद्वार/देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में स्थानान्तरण होने पर किसी शिक्षक/शिक्षिका को दुर्गम विद्यालयों के 70 प्रतिशत अध्यापकों की उपलब्धता होने पर ही उन्हें कार्यमुक्त किया जाय, अन्यथा यदि मा. न्यायालय के आदेशों की अवमानना हेतु सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होंगे।


 (महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी

पृष्ठांकन संख्या/सेवा.अराज./3681-3730/3क(2)/अनि.स्था./2019-20/दिनांक उक्तांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1 सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
- 4 निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, देहरादून।
- 5 सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
- 6 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)।
- 7 सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- 8 सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी।
- 9 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्थानान्तरित शिक्षकों का सेवा विवरण ई. पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
- 10 सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों/शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराते हुये सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 11 प्रभारी एम.आई.एस. अधिकारी, महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश को विद्यालयी शिक्षा विभाग की विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 12 सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिकाओं को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थानान्तरण आदेश की प्रति विभागीय वेबसाइट (www.schooleducation.uk.gov.in) से प्राप्त कर लें एवं निर्गत निर्देशानुसार नवीन तैनाती विद्यालय में निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।
- 13 कार्यालय प्रति।



(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी

